कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 431/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 16.11.2026

☐ थाना जहानागंज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

☐ पुरानी रंजिश को लेकर वादी व उसके परिजनों पर लाठी-डण्डा एवं टांगी से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई।

☐ थाना जहानागंज पुलिस द्वारा करनपुर बाजार से 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त जितेन्द्र के विरुद्ध पूर्व में भी थाना सिधारी पर अभियोग पंजीकृत।

घटना का विवरण-

दिनांक 11.11.2026 को समय करीब 19:00 बजे पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण द्वारा एकराय होकर वादी मन्नू कुमार व उसके परिजनों को गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की नीयत से लाठी-डण्डा एवं टांगी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। उक्त घटना के संबंध में दिनांक 12.11.2026 को वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 236/26 धारा 115(2)/352/351(3)/118(1)/109(1)/3(5) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 16.11.2026 को उ0नि0 लवकुश सोनकर मय हमराह हे0का0 गोविन्द सिंह, का0 अनुप कुमार एवं म0का0 नेहा सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर रहते हुए मुखबिर की सूचना पर करनपुर बाजार से अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र लालजी बासफोर उम्र करीब 37 वर्ष एवं अभियुक्ता संगीता पत्नी जितेन्द्र उम्र करीब 35 वर्ष, निवासीगण ग्राम रानीपुर धरवारा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 11:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 236/26 धारा 115(2)/352/351(3)/118(1)/109(1)/3(5) बीएनएस, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. जितेन्द्र पुत्र लालजी बासफोर के विरुद्ध मु0अ0सं0 279/23 धारा 323/504/506 थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ में अभियोग पंजीकृत है।
2. संगीता पत्नी जितेन्द्र का आपराधिक इतिहास **निल** है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. जितेन्द्र पुत्र लालजी बासफोर, उम्र करीब 37 वर्ष।
2. संगीता पत्नी जितेन्द्र, उम्र करीब 35 वर्ष।

   निवासीगण ग्राम रानीपुर धरवारा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 लवकुश सोनकर, थाना जहानागंज, आजमगढ़।
2. हे0का0 गोविन्द सिंह, का0 अनुप कुमार, म0का0 नेहा सिंह, थाना जहानागंज, आजमगढ़।

यातायात पुलिस, जनपद आजमगढ़

आजमगढ़ पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का शुभारम्भ, जागरूकता रैली निकालकर आमजन को किया गया जागरूक।

☐ अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) एवं एआरटीओ (प्रवर्तन) द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना।

☐ आगामी 15 दिनों तक स्कूलों, कॉलेजों एवं सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रमों तथा सघन वाहन चेकिंग के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति किया जाएगा जागरूक।

कार्यक्रम का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में आज दिनांक 16.11.2026 को जनपद आजमगढ़ में आमजनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का विधिवत शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात), आजमगढ़ श्री पंकज श्रीवास्तव एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), आजमगढ़ श्री अतुल यादव द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया।

जागरूकता रैली एवं अधिकारियों का संदेश-

रैली के माध्यम से यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रमुख चौराहों एवं मार्गों पर आमजन को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा बताया गया कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस एवं प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट एवं चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें।

आगामी कार्ययोजना-

आगामी 15 दिनों तक जनपद के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों एवं सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक एवं सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

आजमगढ़ पुलिस की अपील-

समस्त जनपदवासियों से अपील है कि वाहन चलाते समय निर्धारित गति सीमा का पालन करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं दूसरों का जीवन सुरक्षित बनाएं।